न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 106/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/321

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
कीकाराम पुत्र मूलाराम जाति चौधरी निवासी भादरलाउ (सोमेसर) तहसील रानी जिला पाली		1. शम्भुगिरी पुत्र मोहनगिरी जाति गोस्वामी निवासी भादरलाउ (सोमेसर) तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत भादरलाउ सोमेसर पंचायत समिति रानी तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24/02/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 64/2018–19 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का ग्राम भादरलाउ में पट्टासुदा पुश्तैनी भूखण्ड आया हुआ है, जिस पर प्रार्थी का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का प्रार्थी के पिता मूलाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) द्वारा मिसल संख्या 20/01.07.1972, संकल्प संख्या 14 दिनांक 11.10.1972 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 105 दिनांक 11.02.1972 को जारी हो रखा है। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पति का मौखिक बंटवारा किया जिसमें उक्त भूखण्ड प्रार्थी के हिस्से में आया तब से प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर पूर्व से जारी पट्टा सुदा आराजी का पुनः जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना कोई नक्शा बनाये, बिना कोई पंचों की कमेटी गठित किए, बिना कोई आपत्ति आमंत्रित किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की पूर्णतया अवहेलना है, इसलिये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी के पिता का पुराना मकान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

था जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने नियम 157(1) के तहत पुराने कब्जे के आधार पर विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा आवेदन पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों की अनुपालना में विधिनुसार प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार कर, तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करवाकर, आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा होने एवं विधिक प्रावधानों की पालना होने पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी द्वारा कथित पुराना पट्टा संख्या 105 दिनांक 11.02.1972 कूटरचित एवं फर्जी है। वर्तमान में जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी को केवल परेशान करने की नियत से प्रार्थी ने बिना किसी उचित विधिक प्रावधानों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 64/2018–19 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व के जारी पट्टेसुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस उज्र का खण्डन करते हुये विपक्षी अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पुराने कब्जें के आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है और प्रार्थी द्वारा कथित पुराना पट्टा संख्या 105 दिनांक 11.02.1972 कूटरचित एवं फर्जी है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाते है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पिता मूलाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत भादरलाउ (सोमेसर) द्वारा मिसल संख्या 20/01.07.1972, संकल्प संख्या 14 दिनांक 11.10.1972 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 105 दिनांक 11.02.1972 को जारी हो रखा है, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में दरवाजा, दक्षिण दिशा में गली, पश्चिम दिशा में जीवगिरीजी प्लॉट तथा पूर्व दिशा में शंकरगिरी, प्रतापगिरी है। इसी प्रकरण जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस पूर्व दिशा में शंकरपुरी का मकान, पश्चिम दिशा में कन्हैयालाल का मकान, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता व दरवाजा स्थित है। साथ ही पट्टा संख्या 105 के पश्चिम दिशा में जीवगिरी का प्लॉट अंकित है और अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनानुसार उक्त प्लॉट जीवगिरी से पुखराज तथा पुखराज से कन्हैयालाल को प्राप्त हुआ एवं अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त कथन का खण्डन विपक्षी अधिवक्ता ने नहीं किया। प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 105 जारी किया गया था अथवा वह कूटरचित दस्तावेज है ? इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे में वर्णित पड़ौसियों के पट्टों का अवलोकन से यह स्थिति प्रकट होती है कि – पूर्व दिशा में अंकित शंकरगिरी से सम्बन्धित पट्टा संख्या 111, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 20 दिनांक 01.07.1992 एवं उसकी पालना में जारी किया है, में यह तथ्य सामने आता है कि – उक्त पट्टे के पश्चिम दिशा में मूला टीकम चौधरी का थाला अंकित है। यह उल्लेख स्वतः इस बात की पुष्टि करता है कि प्लॉट संख्या 46 पर मूलाराम का पूर्व से कब्जा पंचायत रिकॉर्ड में मान्य था। इसी प्रकार कन्हैयालाल से सम्बन्धित पट्टा संख्या 1262, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 90/96–97

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक 20.01.1997 एवं उसकी पालना में जारी किया है, यह तथ्य सामने आता है कि – पूर्व दिशा में मूलाराम पुत्र जीवाजी चौधरी का प्लॉट स्पष्ट रूप से अंकित है। इसके अतिरिक्त पड़ौसी कन्हैयालाल पुत्र चुन्नीलाल एवं उगमगिरी पुत्र शंकरगिरी द्वारा दिये गये वर्ष 2022 के शपथ पत्र अनुसार – कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में स्पष्ट कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत भादरलाउ के ब्लॉक सी में प्लॉट संख्या 45 का पट्टा मेरे पक्ष में बना हुआ है, जिसके पूर्व दिशा की और स्थित प्लॉट संख्या 46 मूलाराम चौधरी का आया हुआ है और ग्राम पंचायत द्वारा मुझे पट्टा जारी करने से पहले मूलाराम इस भूखण्ड पर काबिज थे, साथ ही उगमगिरी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित किया कि ब्लॉक सी के प्लॉट संख्या 47 का मेरे पिता के पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है और उसके पश्चिम दिशा में 46 पर बतौर मालिक मूलाराम काबिज है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों से यह परिलिक्षित होता है कि उपरोक्त दोनों पट्टे एक ही भूमि पर जारी किये गये है अर्थात् ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया उसके साथ प्रश्नगत भूमि का नक्शा ही पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मिसल की प्रथम आदेशिका में अंकित किया कि आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क रूपये 120/– जमा किये परन्तु उक्त राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, न ही ग्राम पंचायत के अभिलेखों में शुल्क जमा होने के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि पाई गई है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 06.08.2018 में भूखण्ड का पट्टा बनाने एवं पूर्व में कोई पट्टा बना हुआ नहीं होने के तथ्य अंकित है जबकि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूमि का पूर्व में पट्टा बना हुआ है और अप्रार्थी के कथनानुसार मौके पर उनका मकान बना हुआ है परन्तु आदेशिका में भूखण्ड के तथ्य अंकित है तथा आपत्ति इश्तिहार में प्लॉट के तथ्य है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 05.06.2019 के द्वारा दो गवाहों के बयान लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु सम्पूर्ण मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान मिसल के संलग्न नहीं है। प्रकरण में अभिलेखों के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे की अवधि के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न एवं परस्पर विरोधाभासी कथन किए गए है, जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा होना बताया है जबकि प्रथम आदेशिका दिनांक 06.08.2018 में कब्जे की अवधि 30–35 वर्ष अंकित की गई है तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 20.06.2025 में वही कब्जा अवधि 40–45 वर्ष दर्शाई गई है। हस्तगत प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर डिस्पेच नम्बर अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत नही है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जिस भूखण्ड पर उक्त पट्टा जारी किया गया है, उस भूखण्ड

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

का पर मिसल संख्या 20/01.07.1972, संकल्प संख्या 14 दिनांक 11.10.1972 एवं उसकी पालना में मूलाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 105 दिनांक 11.02.1972 बना है, जो वर्तमान में प्रभावी हैं। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 64/2018–19 एवं उसकी पाना में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 24.06.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली